



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231306
CG-DL-E-23112021-231306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4460]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021 अग्रहायण 02, 1943

No. 4460]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/ AGRAHAYANA 02, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

का.आ. 4827(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य में जिला एसएएस नगर (मोहाली) तथा हरियाणा राज्य में जिला अंबाला के अंबाला-शहजादपुर-नारायणगढ़-कालाअंब तक राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के किमी. 0.000 से किमी. 32.996 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में जिला एसएस नगर (मोहाली) तथा हरियाणा राज्य में जिला अंबाला के अंबाला-शहजादपुर-नारायणगढ़-कालाअंब तक राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के किमी. 0.000 से किमी. 32.996 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी, एसएस नगर, मोहाली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH72 के कि.मी. 0 से 3.2 तक	पंजाब	एस.ए.एस नगर मोहाली	डेरा बस्सी	1 खेलन (169)

[फा. सं. NHAI/PIU/CHD/11163/Ambala-Kalaamb]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

S.O. 4827(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of Ambala-Shahzadpur-Naraingarh-Kalaamb Road Section of NH-72, land from Km. 0.000 to Km. 32.996 in District SAS Nagar (Mohali) in the State of Punjab and in District Ambala in the State of Haryana for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Punjab and Haryana.

SCHEDULE

Land acquisition of Ambala-Shahzadpur-Naraingarh-Kalaamb Road Section of NH-72, land from Km. 0.000 to Km. 32.996 in District SAS Nagar (Mohali) in the State of Punjab and in District Ambala in the State of Haryana.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, SAS Nagar, Mohali	0KM To 3.2KM	PUNJAB	S.A.S Nagar Mohali	DERA BASSI	1 खेलन (169)

[F. No. NHAI/PIU/CHD/11163/Ambala-Kalaamb]

RAJESH GUPTA, Director